पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 21450
में
2015 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 971

==

राजू महतो, पुत्र- श्री जागेश्वर महतो, अध्यक्ष, नगर परिषद, सहरसा ।

.... (रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 6)/अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. रंजना सिंह, पति संजय कुमार सिंह, निवासी- गाँव-बत्राहा, पुलिस स्टेशन-सहारसा, जिला-सहारसा, वर्तमान में उपाध्यक्ष, नगर परिषद, सहारसा।

.................रिटयाचिकाकर्ता-प्रतिवादी-1

2. बिहार राज्य।

3. प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. आयुक्त, कोशी प्रभाग, सहरसा।

5. जिला मजिस्ट्रेट, सहरसा।

6. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सहरसा ।

.... उत्तरदाताओ-उत्तरदाता सेट 2.

==

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिए	:	श्री प्रमोद मिश्रा, अधिवक्ता
		श्री विजय कुमार मुकुल, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, अधिवक्ता
		श्री सत्य प्रकाश, अधिवक्ता
		श्री सचिन कुमार, अधिवक्ता

		श्री अश्विनी के. उपाध्याय, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मनीष कुमार, G.P.-4
		श्री मनोज कुमार, G.P-4 के ए.सी.
प्रत्यर्थी संख्या 6 के लिए	:	श्री अभय शंकर सिंह, अधिवक्ता
		श्री प्रभाकर सहाय, अधिवक्ता

==

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007-धारा 20 एवं 50- *बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियम, 2010-नियम 2-अविश्वास प्रस्ताव-मामला खंडपीठ द्वारा तैयार कुछ मुद्दों पर विचार के लिए पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया-वर्तमान अपील समय के प्रवाह के कारण निष्फल हो गई-मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अधिनियम, 2007 की धारा 50 में निर्धारित प्रक्रिया बैठक के लिए लागू होगी। अधिनियम, 2007 की धारा 25(4) के अधीन बुलाई गई विशेष बैठक में गणपूर्ति न होने की स्थिति में अधिनियम, 2007 की धारा 50 की उपधारा (4) के उपबंधों के मद्देनजर विशेष रूप से अधिनियम, 2007 की धारा 25(4) के अधीन बुलाई गई विशेष बैठक में गणपूर्ति न होने की स्थिति में बैठक को अधिनियम, 2007 की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार स्थगित किया जाना अपेक्षित है तथा स्थगित बैठक में प्रस्ताव पर धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार विचार किया जा सकता है-यदि अधिनियम, 2007 की धारा 25(4) के अधीन बैठक बुलाई जाती है और एक भी पार्षद तथा वह व्यक्ति जिससे बैठक की अध्यक्षता करने की अपेक्षा की जाती है, उपस्थित नहीं होता है, उस स्थिति में गणपूर्ति न होने की स्थिति में बैठक स्थगित की जानी अपेक्षित है, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि गणपूर्ति है तथा वह व्यक्ति जिससे बैठक की अध्यक्षता करने की अपेक्षा की जाती है, उपस्थित नहीं होता है, उस स्थिति में बैठक स्थगित की जाएगी। अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अनुसार, नियम 2010 के नियम 2 के साथ पठित-कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक के घटनाक्रम को रिकार्ड करना कभी भी बैठक के प्रस्ताव के बारे में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता है और इसे केवल गैर-गणपूर्ति के कारण बैठक को स्थगित करने के लिए घटनाओं को रिकार्ड करना कहा जा सकता है। अपील खारिज कर दी गई है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अविश्वास व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पुनः बैठक बुलाने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।* **(पैरा 3 से 5)**

विभा देवी बनाम बिहार राज्य [2015 (2) पी.एल.जे.आर. 167] - **पुष्टि।**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

<u>सीएवी निर्णय</u>
(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः 01-11-2018

1. **विभा देवी बनाम बिहार राज्य** [2015 (2) पी.एल.जे.आर. 167] मामले में खंड-पीठ के निर्णय से सहमत नहीं होते हुए इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 18.05.2015 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों से निपटने के लिए मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित कर दिया है ।

> *(क) क्या अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित प्रक्रिया अधिनियम की धारा 25 (4) के लिए संदर्भ में बैठक पर लागू होगी, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (4) में निहित खंड को छोड़कर?*
>
> *(ख) क्या विश्वास की कमी व्यक्त करने के प्रस्ताव के लिए एक बैठक लेने के लिए एक बैठक को स्थगित करने की कोई संभावना या अवसर मौजूद है; जब धारा 25 (4) और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए नियम, इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं?*
>
> *(ग) क्या अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत बुलाई गई बैठक को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, जब एक भी पार्षद और वह*

व्यक्ति जिसकी बैठक की अध्यक्षता करने की उम्मीद थी, उपस्थित नहीं हुआ?

(घ) क्या कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक के घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग के प्रस्ताव या बैठक के बारे में विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में माना जा सकता है?

1.1 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार समय बीतने के साथ वर्तमान अपील निष्फल हो गई है। हालाँकि, जैसा कि उपरोक्त प्रश्नों को पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया है, हम उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

2. विषय वस्तुए अपीलार्थी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। अपीलार्थी को सहारसा नगर पालिका के मुख्य पार्षद के रूप में चुना गया था। अपीलार्थी में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लेने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग पर परिषद के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और उसे प्रस्तुत किया गया। परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 08.11.2014 पर एक बैठक बुलाई। हालाँकि, उस तारीख को, एक भी पार्षद, जिसमें अनुरोध पर हस्ताक्षर करने वाले भी शामिल थे, उपस्थित नहीं हुए थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घटनाक्रम को दर्ज करते हुए दिनांक 08.11.2014 की कार्यवाही जारी की।

2.1. इसमें प्रथम उत्तरदाता ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.21450/2014 दाखिल किया 2014 दिनांकित 08.11.2014 के पत्र जारी करने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए । विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और दिनांक 8.11.2014 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें दिनांक 27.04.2015 की कार्यवाही को दरकिनार कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव लेने के लिए एक नई बैठक बुलाई जाए। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की

धारा 50 पर भारी निर्भरता रखी गई थी । (इसके बाद 'अधिनियम, 2007' के रूप में संदर्भित)। 2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.21450 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 27.04.2015 द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपील का विषय है।

2.2. अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि एक बार बैठक बुलाए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 50 के तहत विचार किए जाने के अनुसार, इसे स्थगित करने का सवाल नहीं उठता है, खासकर जब एक भी पार्षद ने भाग नहीं लिया था। उनका यह भी मामला था कि कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करने का सवाल केवल धारा 50 के तहत प्रदान की गई परिषद की आम बैठक के संबंध में उठेगा, न कि विशेष बैठकों के संबंध में, जिन पर अधिनियम, 2007 की धारा 25 के तहत विचार किया जाता है।

2.3. अपील की सुनवाई के समय, प्रत्यर्थी सं. 1 यहाँ मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **विभा देवी** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के एक निर्णय पर निर्भर किया,

प्रत्यर्थी सं. की ओर से उपस्थित होना। जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदान की गई बैठक का स्थगन बहुत अधिक कानूनी था और अविश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखा गया था। उस मामले में डिवीजन बेंच के समक्ष, विश्वास की कमी व्यक्त करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 10 जुलाई, 2014 को एक बैठक निर्धारित की गई थी और उस तारीख को 53 निर्वाचित वार्ड पार्षदों में से केवल 7 ने भाग लिया था। गणपूर्ति की कमी के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। अधिनियम की धारा 50 का उल्लेख करके और स्थगित बैठक में, प्रस्ताव को लागू किया गया। जब इसे चुनौती दी गई, तो खंड पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 50 के तहत बैठक के लिए स्थगन बहुत अधिक कानूनी था और इसके परिणामस्वरूप अविश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखा गया था। **विभा देवी** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण

से सहमत नहीं होते हुए, खंड पीठ ने दिनांक 18.05.2015 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त प्रश्नों से निपटने के लिए मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया।

3. हमने सम्बंद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ा एवं विचार किया । प्रासंगिक प्रावधान धारा 25, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 25 (4) और धारा 50 और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 50 (2) और बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियम 2010 के नियम 2 (जिसे इसके बाद 'नियम 2010' के रूप में संदर्भित किया गया है) हैं, जो निम्नानुसार हैः-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

*"**25. मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को हटाना।** -(1) XXXX*

(2) XXXX

(3) XXXX

(4) मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को पार्षदों के कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो कम से कम एक तिहाई पार्षदों द्वारा लिखित रूप में की गई मांग पर, निर्धारित तरीके से इस उद्देश्य के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक में कुछ समय के लिए पद धारण करने वाले पार्षदों की कुल संख्या का बहुमत होगा और विशेष बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाएः

"बशर्ते कि पद का कार्यभार संभालने के दो साल की अवधि के भीतर मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगाः

बशर्ते कि पहले अविश्वास प्रस्ताव के एक वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव फिर से नहीं लाया जाएगाः

बशर्ते कि नगरपालिका के छह महीने की अवशिष्ट अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(5) XXXX

(6) XXXX

***50. नगरपालिका की बैठक में कार्य कलापों के लिए गणपूर्ति और प्रश्न करने वाले निर्णय लेने की विधि.-** (1) नगरपालिका की बैठक में कार्य कलापों के लिए आवश्यक गणपूर्ति पार्षदों की कुल बैठकों की संख्या का एक तिहाई होगी।*

(2) यदि नगरपालिका की बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम नहीं होता है, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो बैठक को स्थगित करे या जब तक कोरम न हो, तब तक बैठक को स्थगित कर दे।

(3) जहां किसी बैठक को उप-धारा (2) के तहत स्थगित कर दिया गया है, वहां पीठासीन प्राधिकारी उसके लिए समय, तारीख और स्थान तय करेगा, जो वह सुविधाजनक समझेगा जो स्थगन की तारीख से तीन दिन से पहले नहीं होगा।

जिस दिन बैठक स्थगित की जाती है, उस दिन नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शित स्थगन की सूचना बाद की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना होगी। ऐसी बैठक के समक्ष जो कार्य लाया जाना था, उसे स्थगित बैठक के समक्ष लाया जाएगा और उस पर कार्य कलाप जा

सकता है और ऐसी स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) नगरपालिका की बैठक में निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी मामले, जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है, उपस्थित पार्षदों के बहुमत और मतदान से निर्धारित किए जाएंगे।

(5) XX XX XX

(6) XX XX XX

(7) XX XX XX

बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियम 2010

***"2.** बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 25 (4) के तहत मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगाः—*

(i) मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को हटाने के लिए निर्वाचित पार्षदों की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस तरह की विशेष बैठक की मांग की जाएगी और निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो मुख्य पार्षद को दिए जाएंगे। मॉग प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय की विशेष बैठक के लिए मुख्य पार्षद द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और बैठक नोटिस जारी होने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर बुलाई जाएगी।

(ii) विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद द्वारा की जाएगी, यदि अविश्वास प्रस्ताव उप मुख्य पार्षद के खिलाफ है और इसकी अध्यक्षता

उप मुख्य पार्षद द्वारा की जाएगी, यदि अविश्वास प्रस्ताव मुख्य पार्षद के खिलाफ है और यदि यह मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों के खिलाफ है, तो बैठक की अध्यक्षता बैठक में पार्षदों द्वारा इस उद्देश्य के लिए चुने गए पार्षद द्वारा की जाएगी। उप मुख्य पार्षद का पद रिक्त होने या मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति में या मुख्य पार्षद का पद खाली होने या उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद के खिलाफ चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति में,बैठक की अध्यक्षता पार्षदों द्वारा बैठक में इस उद्देश्य के लिए चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।

(iii) यदि मुख्य पार्षद द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है या निर्धारित समय के भीतर बैठक नहीं बुलाई जा रही है, तो बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा-48 (3) के प्रावधान के अनुसार माँगकर्ताओं द्वारा विशेष बैठक बुलाई जाएगी और इसके लिए नोटिस मुख्य नगर अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(iv) मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से वे कारण/आरोप होंगे जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है।

(v) जैसे ही बुलाई गई बैठक शुरू होती है, बैठक में पीठासीन सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर बैठक बुलाई गई है और इसे चर्चा के लिए खुला घोषित करेगा। चर्चा के दौरान, मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा।

प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उसी दिन पीठासीन सदस्य द्वारा गुप्त मतदान द्वारा मतदान किया जाएगा और गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।

(vi) बैठक के लिए गणपूर्ति बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(vii) दोनों पदों के खाली रहने की स्थिति में खाली मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पक्ष अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद के रूप में खाली हो जाते हैं, जब तक कि नए मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या निष्पादन नगर पालिका के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत मुख्य पार्षद द्वारा कियाजाना है।

(viii) प्रक्रिया पूरी होने पर, मुख्य नगर अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ix) जहां मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद अविश्वास प्रस्ताव के परिणामस्वरूप खाली हो जाते हैं, वहां नए मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के चुनाव की प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया गया। "

3.1. अधिनियम, 2007 की धारा 25 में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को हटाने का प्रावधान है धारा 25 की उप-धारा (4) के अनुसार, मुख्य पार्षद/उप-मुख्य पार्षद को कुल पार्षदों की संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा लिखित रूप में की गई मांग पर निर्धारित तरीके से इस उद्देश्य के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक में वर्तमान में पद धारण करने

वाले पार्षदों की पूरी संख्या के बहुमत द्वारा लिए गए प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि विशेष बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए।

3.2. नियम 2010 का नियम 2 प्रक्रिया प्रदान करता है और मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ 2007 अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने और उसका निपटारा करने का तरीका। नियम 2010 के नियम 2 के उप-नियम (vi) के अनुसार, बैठक के लिए गणपूर्ति अधिनियम, 2007 की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार होगी।

3.3. अधिनियम, 2007 की धारा 50 की उप-धारा (2) यह स्पष्ट करती है कि विशेष बैठक में मुख्य पार्षद को उसके कार्यालय से हटाने के लिए एवं कार्य संचालन के लिए अविश्वास प्रस्ताव का तरीका वैसा होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि नगर पालिका की बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम नहीं होता है, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो बैठक को स्थगित कर दे या जब तक कोरम न हो तब तक बैठक को स्थगित कर दे।

3.4. इसलिए, उप-धारा (4) के संयुक्त पठन पर अधिनियम, 2007 की धारा 50 की धारा 25, उप-धारा (2) और नियम 2010 के नियम 2 में यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष बैठक तब बुलाई जाएगी जब कुल पार्षदों में से एक तिहाई सदस्य मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक के लिए लिखित रूप में अनुरोध करता है और एक मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा दिया जाएगा यदि एक विशेष बैठक में कुल पार्षदों के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसकी मांग की जा सकती है। उपरोक्त प्रावधानों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोरम नहीं है, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो बैठक को स्थगित कर दे या जब तक कोरम नहीं हो जाती, तब तक बैठक को स्थगित कर दे। इसलिए, अधिनियम,

2007 की धारा 50 की उप-धारा (2) के साथ पठित नियम 2010 के नियम 2 के साथ पठित धारा 25 (4) के आधार पर, अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के मामले में भी, यदि कोरम नहीं है, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो बैठक को स्थगित कर दे या जब तक कोरम नहीं हो जाती, तब तक बैठक को स्थगित कर दे। इसे धारा 50 की उप-धारा (3) के साथ भी पढ़ना आवश्यक है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां कोरम न होने के कारण उप-धारा (2) के तहत एक बैठक स्थगित कर दी गई है, वहां पीठासीन प्राधिकारी अगली बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा और विषय को स्थगित बैठक में लेन-देन किया जा सकता है और ऐसी स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, अधिनियम 2007 की धारा 25 (4) के तहत विशेष बैठक के मामले में भी पहली बैठक में कोरम की आवश्यकता होती है, हालांकि, स्थगित बैठक में ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

3.5. इसलिए, अधिनियम, 2007 और नियम 2010 के नियम 2 के ऊपर उल्लिखित धारा 25 और 50 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, हम **विभा देवी** (उपर्युक्त) के मामले में खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया हैः

(क) अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित प्रक्रिया अधिनियम की धारा 25 (4) के लिए संदर्भित बैठक पर लागू होगी, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (4) के प्रावधानों को घ्यान में रखते हुए ।

(ख) अधिनियम 2007 की धारा 25 (4) के तहत बुलाई गई विशेष बैठक में गणपूर्ति न होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक को स्थगित करने की आवश्यकता है और प्रस्ताव पर धारा 50 की उप-धारा (3) के अनुसार स्थगित बैठक में विचार किया जा सकता है।

(ग) यदि अधिनियम, 2007 की धारा 25 (4) के तहत बैठक बुलाई जाती है, जब एक भी पार्षद और बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो उस स्थिति में, बैठक को स्थगित करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि गणपूर्ति होती है और बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो उस मामले में, बैठक अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अनुसार नियम 2010 के नियम 2 के साथ पढ़ी जाएगी।

(घ) कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक के घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग को कभी भी बैठक के संकल्प के बारे में विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे केवल गैर-गणपूर्ति के कारण बैठक को स्थगित करने के लिए घटनाओं की रिकॉर्डिंग कहा जा सकता है।

4.1. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

5. इसके साथ वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील खारिज किया जाता है क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव लेने के लिए एक नई बैठक बुलाने का निर्देश में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति मैं सहमत हूँ।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति मैं सहमत हूँ।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सुनील/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा ।